By Speed Post/email

No. J - 11017/15/2015-JR [E-285/7535]
Government of India
Ministry of Law & Justice
(Department of Justice)
******

Jaisalmer House, 26, Mansingh Road,
New Delhi – 110011, Dated: 4th October, 2024.

To,

The Principal Accounts Officer,
Department of Legal Affairs,
Lok Nayak Bhawan, 3rd Floor, 'C' Wing, Khan Market,
New Delhi–110 003.

Subject: **Himachal Pradesh - Centrally Sponsored Scheme (CSS) for development of infrastructure facilities for the judiciary – Release of Central Assistance to the State Government of Himachal Pradesh for the year 2024-25 - Regarding.**

Sir,

In continuation of sanction order of even no. dated 02.07.2024 conveying Central Assistance of Rs. 5,62,00,000/- (Rupees Five Crore Sixty Two Lakh only), I am directed to convey the sanction of the President of India for the payment of **Rs. 8,00,00,000/- (Rupees Eight Crore only)** during 2024-25 as **second installment** of central assistance to the **Government of Himachal Pradesh** under the Centrally Sponsored Scheme for development of Infrastructure facilities for judiciary, for construction of court buildings and residential accommodation for judges /judicial officers covering District and Subordinate Courts. The High Courts are not covered under the revised Scheme.

2. The expenditure involved is debitable to Demand No. 65 during 2024-25 under Major Head 3601 – Grants–in-aid General to State Governments, Sub Major Head 06 – Centrally Sponsored Schemes, Minor Head 06.101 – Central Assistance/Share, Sub Head 57 – Infrastructural facilities for Judiciary, Detailed Head 03 –Infrastructural facilities for Judiciary, Object Head 57.03.35 – Grants for Creation of Capital Assets.

3. The State Government is requested to utilize this amount along-with the State Government's Share on the pattern of 60:40 for States other than North Eastern and Himalayan States, and 90:10 for States in North Eastern and Himalayan Region sharing basis between Central and State Governments. **Funds being released should be used in the ongoing Projects complying with the norms and specifications for the construction of court halls, lawyers halls, toilet complexes, digital computer room and residential quarters of subordinate judiciary, as per the extant guidelines of the Scheme**. The State Government may furnish the Project-wise details for the projects against which above funds are allocated/utilized. The details of amount spent by the State Government along-with audit certificate, utilization certificate in the prescribed format (GFR-19A) duly signed by the competent authority and physical achievements may please be sent to this Department at the earliest.

4. The State Government is to ensure the following conditions:

i. The entire amount of central share of CSS released to the State is transferred to the Single Nodal Account of the SNA concerned.
ii. Corresponding State share in full is to be credited by the State Government to the Single Nodal Account of the SNA.
iii. Interest accrued in the SNA account has been deposited in the CFI.
iv. All the bank accounts except the Single Nodal Account of the SNA and all the bank accounts of IAs except zero balance account opened under Department of Expenditure's instructions dated 23/03/2021 have been closed and the amount available in these accounts has been deposited in the Single Nodal Account of the SNA concerned.

04/10/24

v. Separate budget lines for Central and State share under the CSS in their detailed demand for grants of the State has been opened.
vi. All other provisions of the DoE's instructions dated 23/03/2021 regarding release of funds for CSS have been strictly complied with.

5. The accounts of the State Government in respect of the Grants being released shall be open to inspection by the Sanctioning authority and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India under the provision of CAG (DPC) Act, 1971 and internal audit by the Principal Account Office of the Department of Justice, whenever the State Government is called upon to do so.

6. This sanction has been entered in the Register of Grants at Serial No. 29 at page no. 05-06.

7. This issues with the concurrence of Additional Secretary & Financial Advisor (Law) vide Note No. 320 dated 30.09.2024 in e-office file no. 7535 and approval of Secretary (Justice) vide Note No. 327 dated 04.10.2024.

Yours faithfully,

G Tripathi
04/10/2024

(Gaurav Kumar Tripathi)
Under Secretary to the Government of India
Tele No.: 2307 2140
Email id: gaurav.tripathi@nic.in

Copy to:

1. Chief Secretary, State Government of Himachal Pradesh, Shimla.
2. Law Secretary, State Government of Himachal Pradesh is required to monitor the projects of construction of court halls, **lawyers' halls, toilet complexes, digital computer room** and residential units for Judges and Judicial Officers of District and Subordinate courts in the State and provide details to Department of Justice with geo-tagging of constructed / under construction court halls and residential units on Nyaya Vikas 2.0 portal.
3. Secretary, Finance Department, State Government of Himachal Pradesh, Shimla. He will ensure transfer of central share of funds and matching state share in the account of SNA within stipulated time.
4. Registrar General, Himachal Pradesh High Court, Shimla.
5. Accountant General, State Government of Himachal Pradesh, Shimla.
6. Chief Controller of Accounts (Law), Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi.
7. Pay & Accounts Officer, Department of Legal Affairs, Janpath Bhawan, Janpath, New Delhi.
8. Reserve Bank of India, Central Account's Section, Nagpur, Maharashtra.
9. Deputy Secretary (Finance), Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Shastri Bhawan, New Delhi.
10. Under Secretary (Admin.), Department of Justice, Jaisalmer House, New Delhi.
11. Concerned file.
12. Spare Copies-5.

G Tripathi

(Gaurav Kumar Tripathi)
Under Secretary to the Government of India

<u>स्पीड पोस्ट/ईमेल द्वारा</u>

सं. जे-11017/15/2015- जेआर [ई-285]
भारत सरकार
विधि एवं न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)
******

जैसलमेर हाउस, 26, मानसिंह रोड,
नई दिल्ली-110011, दिनांक 4 अक्टूबर, 2024

सेवा में,

प्रधान लेखा अधिकारी,
कानूनी मामलों का विभाग,
लोक नायक भवन, तीसरा तल, 'सी' विंग,
खान मार्केट, नई दिल्ली - 110 003

विषय: **हिमाचल प्रदेश - न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) -वित्त वर्ष 2024-2025 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार को केंद्रीय वित्तीय सहायता की मंजूरी।**

महोदय,

रु. 5,62,00,000/-(रुपये पांच करोड़ बासठ लाख मात्र) की केंद्रीय सहायता प्रदान करने की सूचना से संबंधित दिनांक 02.07.2024 के समसंख्यक स्वीकृति आदेशों के क्रम में, मुझे न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास और जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों/न्यायिक अधिकारियों के लिए अदालत भवनों और रिहाइशी आवास के निर्माण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत, **हिमाचल प्रदेश सरकार को द्वितीय किस्त के रूप में केंद्रीय सहायता के तौर पर, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान रु. 8,00,00,000/- (रुपये आठ करोड़ मात्र)** के भुगतान के लिए भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी से अवगत कराने का निदेश हुआ है। <u>उच्च न्यायालय इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं</u>।

2. संबंधित व्यय को मुख्य शीर्ष 3601-राज्य सरकारों को सहायता-अनुदान सामान्य, उप मुख्य शीर्ष 06-केंद्र प्रायोजित योजनाएं, लघु शीर्ष 06.101-केंद्रीय सहायता/शेयर, उप शीर्ष 57–न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाएं, विस्तृत शीर्ष 03–न्यायपालिका के लिए बुनियादी सुविधाएं, वस्तु शीर्ष 57.03.35–पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान मांग संख्या 65 में डेबिट किया जाएगा।

3. राज्य सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार के हिस्से के साथ-साथ इस राशि का उपयोग उत्तर पूर्वी और हिमालयी राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के लिए 60:40 के पैटर्न पर और पूर्वोत्तर तथा हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के लिए 90:10 के आधार पर किया जाए। **जारी की जा रही धनराशि का उपयोग योजना के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार कोर्ट हॉलों, वकील हॉलों, शौचालय परिसरों, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष और अधीनस्थ न्यायपालिका के आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए मानदंडों और विनिर्देशों का अनुपालन करते हुए जारी परियोजनाओं में किया जाना चाहिए। राज्य सरकार उन परियोजनाओं के लिए परियोजना-वार विवरण प्रस्तुत करें जिनके लिए उपरोक्त धनराशि आवंटित/उपयोग की गई है।** राज्य सरकार द्वारा खर्च की गई राशि का विवरण लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र, निर्धारित प्रारूप (जीएफआर-19 ए) में सक्षम प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाण पत्र और वास्तविक उपलब्धियों के साथ कृपया इस विभाग को जल्द से जल्द भेजा जाए।

4. राज्य सरकार को निम्नलिखित शर्तें सुनिश्चित करनी हैं:

i. राज्य को जारी सीएसएस के केंद्रीय हिस्से की पूरी राशि संबंधित एसएनए के एकल नोडल खाते में स्थानांतरित कर दी जाती है।
ii. संबंधित राज्य का पूरा हिस्सा राज्य सरकार द्वारा एसएनए के एकल नोडल खाते में जमा किया जाएगा।
iii. एसएनए खाते में अर्जित ब्याज सीएफआई में जमा कर दी गई है।
iv. एसएनए के एकल नोडल खाते को छोड़कर सभी बैंक खातों और व्यय विभाग के दिनांक 23/03/2021 के निर्देशों के तहत खोले गए शून्य शेष के खाते को छोड़कर आई ए के सभी बैंक खाते बंद कर दिए गए हैं और इन खातों में उपलब्ध राशि संबंधित एसएनए के एकल नोडल खाते में जमा करा दी गई हैं।

04/10/24.

v. राज्य के अनुदानों के लिए अपनी विस्तृत मांग में सीएसएस के तहत केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी के लिए अलग-अलग बजट लाइनें खोली गई हैं।

vi. केंद्र प्रायोजित योजना के लिए धन जारी करने के संबंध में व्यय विभाग के दिनांक 23/03/2021 के अनुदेशों के अन्य सभी प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन किया गया है।

5. जारी किए जाने वाले अनुदानों के संबंध में राज्य सरकार के खाते मंजूरी प्राधिकारी द्वारा और सीएजी (डीपीसी) अधिनियम, 1971 के प्रावधान के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा तथा न्याय विभाग के प्रधान लेखा कार्यालय द्वारा, जब भी राज्य सरकार को ऐसा करने के लिए कहा गया हो,आंतरिक लेखा परीक्षा के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

6. यह मंजूरी अनुदान रजिस्टर में पृष्ठ संख्या 05-06 में क्रमांक 29 पर दर्ज की गई है।

7. यह ई-ऑफिस फ़ाइल संख्या 7535 में नोट संख्या 320 दिनांक 30.09.2024 के माध्यम से अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (विधि) की सहमति और नोट संख्या 327 दिनांक 04.10.2024 के माध्यम से सचिव (न्याय) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

भवदीय,

04/10/2024

(गौरव कुमार त्रिपाठी)
अवर सचिव,भारत सरकार
दूरभाष: 011-2307 2140
ईमेल आईडी: gaurav.tripathi@nic.in

प्रति:-

1. मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला
2. सचिव, विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार को कोर्ट हॉलों, वकील हॉलों, शौचालय परिसरों, डिजिटल कंप्यूटर कक्ष और राज्य में जिला और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों और न्यायिक अधिकारियों के लिए आवासीय यूनिटों की निर्माण परियोजनाओं की निगरानी करना और निर्मित/निर्माणाधीन कोर्ट हॉलों और आवासीय यूनिटों की न्याय विकास 2.0 पोर्टल पर जियो-टैगिंग के साथ न्याय विभाग को विवरण प्रदान करना अपेक्षित है।
3. वित्त विभाग, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, शिमला । वह निर्धारित समय के भीतर एसएनए के खाते में धनराशि के केंद्रीय हिस्से और राज्य के हिस्से का हस्तांतरण सुनिश्चित करेगा।
4. रजिस्ट्रार जनरल, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, शिमला
5. महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार, शिमला
6. मुख्य लेखा नियंत्रक (विधि), लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली।
7. वेतन एवं लेखा अधिकारी, विधि कार्य विभाग, जनपथ भवन, जनपथ, नई दिल्ली।
8. महासचिव, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली।
9. भारतीय रिज़र्व बैंक, केंद्रीय खाता अनुभाग, नागपुर, महाराष्ट्र।
10. उप सचिव (वित्त), विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
11. अवर सचिव (प्रशासन-।। यूनिट), न्याय विभाग, जैसलमेर हाउस, नई दिल्ली।
12. संबंधित फ़ाइल.
13. अतिरिक्त प्रतियाँ-5.

(गौरव कुमार त्रिपाठी)
अवर सचिव,भारत सरकार